रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937
No. 112] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

सं. 7/2015–2020

फा. सं. 01/89/180/विविध 57/एएम–06/पीसी–2(बी).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया–पुस्तक (2015–2020) के पैरा 2.07(क)(iv) में संशोधन करते हैं जिसमें आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) प्राप्त करने से छूट प्राप्त आयातकों अथवा निर्यातकों की श्रेणियां सूचीबद्ध हैं।

2. मौजूदा पैरा 2.07 (क)(iv) को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

"भारत–म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों और चीन (गुन्जी, नामगया शिपकिलॉ और नाथूलॉ पत्तनों के माध्यम से) नेपाल से/को माल का आयात/निर्यात करने वाले व्यक्ति, बशर्ते एकल खेप का सीआईएफ मूल्य 25000/– भारतीय रूपयों से अधिक न हो। नाथूलॉ पत्तन के मामले में, लागू मूल्य सीमा 1,00,000/– रु. होगी।"

3. संशोधित पैरा 2.07 (क)(iv) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"नेपाल, म्यांमार (भारत–म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से) और चीन (गुन्जी, नामगया शिपकिलॉ और नाथूलॉ पत्तनों के माध्यम से) से/को माल का आयात/निर्यात करने वाले व्यक्ति, बशर्ते नेपाल और म्यांमार (भारत–म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से) से/को ऐसे माल के आयात/निर्यात की एकल खेप का सीआईएफ मूल्य 25000/–भारतीय रूपयों से अधिक नहीं होना चाहिए और चीन के मामले में (क) गुन्जी और नामगया शिपकिलॉ के माध्यम से चीन से/को माल के आयात/निर्यात के लिए, एकल खेप का सीआईएफ मूल्य 1,00,000/– भारतीय रूपयों से अधिक नहीं होना चाहिए; और (ख) नाथूलॉ के माध्यम से माल के आयात/निर्यात के लिए एकल खेप का सीआईएफ मूल्य 2,00,000/–रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।"

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए, नाथूला के मामले में, प्रति खेप का सीआईएफ मूल्य 1,00,000/–रु. से बढ़ाकर 2,00,000/–रु. कर दिया गया है, जबकि गुन्जी और नामगया शिपकिला के लिए 25,000/–रु. की मौजूदा सीआईएफ मूल्य सीमा को बढ़ाकर 1,00,000/–रू. कर दिया गया है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st May, 2015

No.7 /2015-2020

F. No. 01/89/180/Misc. 57/AM-06/PC-2 (B).—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes amendment in para 2.07(a) (iv) of Handbook of Procedures (2015-2020) which lists categories of importers or exporters exempted from obtaining Importer-Exporter Code(IEC).

2. The existing para 2.07(a) (iv) reads as under:

"Persons importing/exporting goods from/to Nepal, Myanmar through Indo-Myanmar border areas and China (through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports), provided CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rs. 25, 000. In case of Nathula port, the applicable value ceiling will be Rs. 1, 00,000/-."

3. The revised para 2.07(a)(iv) would read as under:

"Persons importing/exporting goods from/to Nepal; Myanmar (through Indo-Myanmar border areas); and China (through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports), provided that the CIF value of single consignment of import/export of goods from/to Nepal; and Myanmar (through Indo-Myanmar border areas) does not exceed Indian Rs. 25,000/-; and in the case of China, (a) for import/export of goods through Gunji and Namgaya Shipkila, CIF value of single consignment does not exceed Indian Rs.1,00,000/-; and (b) for import/export of goods through Nathula, CIF value of single consignment does not exceed Rs. 2,00,000/-."

4. Effect of this Public Notice:

For border trade between India and China, the CIF value per consignment is being increased from Rs. 1,00,000/- to Rs. 2,00,000/- in case of Nathula, while for Gunji and Namgaya Shipkila, the existing CIF value limit of Rs. 25,000/- is being enhanced to Rs. 1,00,000/-.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.